राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

<u>अपील संख्या: - 1183/2018</u>

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
दिनेश जैन रैणी अलवर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अधीक्षण अभियंता (सतर्कता) जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मुख्यालय जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 28-03-2018

1. अपीलार्थी उपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री आर. एस. गुप्ता, अधिक्षण अभियन्ता उपस्थित।

3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 10-07-2017 के द्वारा दिनांक 05-07-2017 को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता परियोजना क्षेत्र अजमेर द्वारा अतिरिक्त मुख्य एनसीआर क्षेत्र अलवर के कार्यालय की शिकायतों की जाँच से संबंधित जाँच रिपोर्ट की प्रति चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 17-08-2017 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने बताया कि चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी के द्वारा चाही गई सूचना जाँच से संबंधित है। जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(छ)(ज)(ञ) के अनुसार देय नहीं है। इस बाबत अपीलार्थी को पत्र दिनांक 07-09-2017 को विनिश्चय से अवगत करा दिया गया था। अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 10-07-2017 के क्रम में प्रस्तुत द्वितीय अपील मीमो के साथ प्रथम अपील निर्णय दिनांक 17-08-2017 की प्रति संलग्न की है जो इस प्रकरण से संबंधित नहीं है और इससे आयोग को गुमराह करने का प्रयास किया है। यह अपील अपीलार्थी के अन्य आवेदन दिनांक 23-05-2017 से संबंधित है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 06-03-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 07-09-2017 की प्रति संलग्न की है एवं आयोग के पूर्व निर्णय अपील संख्या 3688/2009 दिनांक 06-09-2010 की प्रति संलग्न की गई है।

7. अपीलार्थी द्वारा प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई है जो स्वीकार्य नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के गिरीश रामचन्द्रदेश पाण्डे बनाम केन्द्रीय सूचना आयोग दिल्ली प्रकरण के निर्णय में यह प्रतिपादित किया गया है कि तृतीय पक्षकार से संबंधित सूचना एवं विभागीय कर्मचारियों के अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 की कार्यवाही किये बिना देय नहीं है। राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय विधि अनुसार है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त